an>

title: Regarding reservation of SCs/STs in Promotion.

श्री हरीश मीना (दौसा) : महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह विषय उठाने का मौका दिया।...(व्यवधान) यह विषय ऐसा है, जो हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की भावनाओं और अधिकारों से जुड़ा है।...(व्यवधान)

मैडम, पिछले पचास साल से अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको सरकारी सेवाओं में रिज़र्वेशन का प्रावधान था।...(व्यवधान) लेकिन पिछले दिनों में पता नहीं क्या हुआ कि धीरे-धीरे इसको खत्म किया जा रहा है। इसके लिए कोई कानून नहीं बना है।...(व्यवधान) हम लोग जब मंत्रियों के पास इसके लिए जाते हैं तो मंत्री कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, यह कोर्ट का विषय है। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट कहता है कि सरकार नीति नहीं बना रही है।...(व्यवधान)

महोदया, यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अधिकार है, जो संविधान के तहत शुरू से मिलता आ रहा है।...(व्यवधान) लेकिन किसी साजिश के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है।...(व्यवधान)

आपके माध्यम से मेरा पूरे सदन से और सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पूर्व में जिस प्रकार से यह अधिकार मिल रहा था,...(व्यवधान) वह मिले और इसके लिए यदि नया कानून भी बनाना पड़े तो सरकार वह कानून बनाए, ताकि इन गरीब लोगों को इनके अधिकार दिलाए जा सकें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

डॉ. मनोज राजोरिया और

श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री हरीश मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।